

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 कानपुर द्वारा इटावा कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-02 (नया राजमार्ग-19) के किमी0 348.00 से 323.55 तक दायीं पटरी पर सी0एन0जी0 पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु 1.46265 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

दिनांक-15.07.2022

स्थान-इटावा

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा